



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00108

दर्ज तिथि:-11.06.2019

1. नींबा पुत्र खुशाला फौत के कायम मुकाम

1/1 भादाराम पुत्र नींबाराम

1/2 लालाराम पुत्र नींबाराम

1/3 जोधाराम पुत्र नींबाराम

1/4 दीपाराम पुत्र नींबाराम

1/5 मंगलाराम पुत्र नींबाराम

2. पूराराम पुत्र केहरा

3. आदाराम पुत्र केहरा

4. छगनाराम पुत्र केहरा

जाति मेगवाल निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राणा पुत्र खुशाला फौत के कायम मुकाम

1/1 प्रतापाराम पुत्र राणाराम

1/2 लाधाराम पुत्र राणाराम

1/3 मूलाराम पुत्र राणाराम

1/4 अजाराम पुत्र राणाराम

1/5 जगाराम पुत्र राणाराम

1/6 प्रहलादाराम पुत्र राणाराम

1/7 छगनदेवी पत्नी राणाराम

2. गिरधारी पुत्र खुशाला

3. सुजाणा पुत्र खेता

4. लाला पुत्र निम्बा

5. जोधा पुत्र निम्बा

6. दीपाराम पुत्र निम्बा

7. मंगला पुत्र निम्बा

जाति मेगवाल निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण



उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण:- श्री डालुराम चौधरी।
प्रतिवादी:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 29/7.06 बीघा, 142/21.17 बीघा, 188/27.09 बीघा, 417/12.10 बीघा मौजा डेडावास जागीर, खसरा संख्या 302/53.08 बीघा 430/130.02 बीघा, 438/31.10 बीघा, 197/41.05 बीघा मौजा डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 05 एवं 1/6 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामिल अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 05 एवं 1/6 के निर्धारित तिथि को हाजिर न्यायालय नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 05 एवं 1/6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी साक्ष्य प्राप्त की जाकर अधिवक्ता वादी की एकतरफा सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 14.06.2022 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/1604 दिनांक 27.12.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण वादीगण की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक

वादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/1604 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 23.10.2023 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.10.2023 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.10.2023 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 29/7.06 बीघा, 142/21.17 बीघा, 188/27.09 बीघा, 417/12.10 बीघा मौजा डेडावास जागीर, खसरा संख्या 302/53.08 बीघा 430/130.02 बीघा, 438/31.10 बीघा, 197/41.05 बीघा मौजा डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 29/7.06 बीघा, 142/21.17 बीघा, 188/27.09 बीघा, 417/12.10 बीघा मौजा डेडावास जागीर, खसरा संख्या 302/53.08 बीघा 430/130.02 बीघा, 438/31.10 बीघा, 197/41.05 बीघा मौजा डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

पुराराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 आदाराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 छगनाराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास	197	0.8225	बा0दो0
	का	430	6.4749	बा0दो0
	गोलिया	302	1.0805	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
पताराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 लाधाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 मूलाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 प्रहलादराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 अजमलराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 जगाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 छगनो पत्नी राणाराम हि0 1/7 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन संपूर्ण खाता खसरा सं. 430 मे रहन SBI (0006742) शाखा गुड़ामालानी	डेडावास	29	0.2954	बा0दो0
	जागीर	188	1.1108	बा0सो0
		417	0.4908	बा0दो0
	कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0			
	महा कुल किता 07 रकबा 11.1591 है0			
जोधाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 दीपाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 मंगलाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 लालाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 भादाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1647/41127	डेडावास	197	0.8225	बा0दो0
	का	302	01.0805	बा0दो0
	गोलिया	430	6.4749	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
जोधाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 दीपाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 मंगलाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 लालाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 भादाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5	जागीर	188	1.1108	बा0सो0
		29	0.2954	बा0दो0
		417	0.4908	बा0दो0
	कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0			
	महा कुल किता 07 रकबा 11.1591 है0			
गिरधारीराम पुत्र खुशालाराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास	197	0.8225	बा0दो0
	का	430	6.4749	बा0दो0
	गोलिया	302	1.0805	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0

	जागीर	29	0.2954	बा0दो0
		188	1.1108	बा0सो0
		417	0.4908	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0				
महाकुल किता 07 रकबा 11.1591 है0				
सुजाना पुत्र खेताराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास का गोलिया	302	4.3220	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 4.3220 है0				
गै0 मु0 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	डेडावास का गोलिया	430	0.2600	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.2600 है0				
	डेडावास जागीर	417	0.0600	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0600 है0				
महाकुल किता 02 रकबा 0.3200 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00108

दर्ज तिथि:-11.06.2019

1. नींबा पुत्र खुशाला फौत के कायम मुकाम

1/1 भादाराम पुत्र नींबाराम

1/2 लालाराम पुत्र नींबाराम

1/3 जोधाराम पुत्र नींबाराम

1/4 दीपाराम पुत्र नींबाराम

1/5 मंगलाराम पुत्र नींबाराम

2. पूराराम पुत्र केहरा

3. आदाराम पुत्र केहरा

4. छगनाराम पुत्र केहरा

जाति मेगवाल निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राणा पुत्र खुशाला फौत के कायम मुकाम

1/1 प्रतापाराम पुत्र राणाराम

1/2 लाधाराम पुत्र राणाराम

1/3 मूलाराम पुत्र राणाराम

1/4 अजाराम पुत्र राणाराम

1/5 जगाराम पुत्र राणाराम

1/6 प्रहलादाराम पुत्र राणाराम

1/7 छगनदेवी पत्नी राणाराम

2. गिरधारी पुत्र खुशाला

3. सुजाणा पुत्र खेता

4. लाला पुत्र निम्बा

5. जोधा पुत्र निम्बा

6. दीपाराम पुत्र निम्बा

7. मंगला पुत्र निम्बा

जाति मेगवाल निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण:- श्री डालुराम चौधरी।
प्रतिवादी:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 29/7.06 बीघा, 142/21.17 बीघा, 188/27.09 बीघा, 417/12.10 बीघा मौजा डेडावास जागीर, खसरा संख्या 302/53.08 बीघा 430/130.02 बीघा, 438/31.10 बीघा, 197/41.05 बीघा मौजा डेडावास का गोलिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

पुराराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 आदाराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 छगनाराम पुत्र केहराराम हि0 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास	197	0.8225	बो0दो0
	का	430	6.4749	बो0दो0
	गोलिया	302	1.0805	बो0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
	29	0.2954	बा0दो0	
	जागीर	188	1.1108	बा0सो0
		417	0.4908	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0				
महा कुल किता 07 रकबा 11.1591 है0				
पताराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 लाधाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 मूलाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 प्रहलादराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 अजमलराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 जगाराम पुत्र राणाराम हि0 1/7 छगनो पत्नी राणाराम हि0 1/7 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन संपूर्ण खाता खसरा सं. 430 मे रहन SBI (0006742) शाखा गुडामालानी	डेडावास	197	0.8225	बा0दो0
	का	302	01.0805	बा0दो0
	गोलिया	430	6.4749	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
	188	1.1108	बा0सो0	
	जागीर	29	0.2954	बा0दो0
		417	0.4908	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0				

महा कुल किता 07 रकबा 11.1591 है0				
जोधाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 दीपाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 मंगलाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 लालाराम पुत्र निम्बाराम हि0 3290/13709 भादाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1647/41127	डेडावास का गोलिया	197	4.1127	बा0दो
कुल किता 01 रकबा 4.1127 है0				
जोधाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 दीपाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 मंगलाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 लालाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5 भादाराम पुत्र निम्बाराम हि0 1/5	डेडावास	302	1.0805	बा0दो0
	का	438	5.0990	बा0दो0
	गोलिया	430	1.3758	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 7.5553 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
जागीर	188	1.1108	बा0सो0	
	29	0.2954	बा0दो0	
	417	0.4908	बा0दो0	
कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0				
महा कुल किता 08 रकबा 14.4492 है0				
गिरधारीराम पुत्र खुशालाराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास	197	0.8225	बा0दो0
	का	430	6.4749	बा0दो0
	गोलिया	302	1.0805	बा0दो0
	कुल किता 03 रकबा 8.3779 है0			
	डेडावास	142	0.8842	बा0सो0
जागीर	29	0.2954	बा0दो0	
	188	1.1108	बा0सो0	
	417	0.4908	बा0दो0	
कुल किता 04 रकबा 2.7812 है0				
महाकुल किता 07 रकबा 11.1591 है0				
सुजाना पुत्र खेताराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	डेडावास का गोलिया	302	4.3220	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 4.3220 है0				
गै0 मु0 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	डेडावास का गोलिया	430	0.2600	बा0दो0
	कुल किता 01 रकबा 0.2600 है0			
	डेडावास जागीर	417	0.0600	बा0दो0
	कुल किता 01 रकबा 0.0600 है0			
महाकुल किता 02 रकबा 0.3200 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी

है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

